

हीवेट पॉलीटेक्निक, महानगर, लखनऊ

कार्यालय—ज्ञाप

पत्रांक:— एच0 पी0 / 2017-18 / स्थापना / रैगिंग / 08 लखनऊ, दिनांक :- 04.07.2017

शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए एन्टी रैगिंग स्क्वायड / प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है:—

क्रमांक	नाम / पदनाम	बोर्ड में प्रास्थिति	मो0नं0
1.	श्री पंकज जोशी, प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स अभियंत्रण	कोआर्डिनेटर / प्राक्टर	9415409660
2.	श्री पी0 एस0 कुशवाहा, प्रवक्ता यॉत्रिक अभियंत्रण	सदस्य	9415781974
3.	डा0 अनुराग अग्रवाल, प्रवक्ता प्रोफेशनल कम्प्यूनिकेशन	सदस्य	9415547905
4.	श्री देवेश अग्निहोत्री, प्रवक्ता सिविल इंजी0	सदस्य	9415106766
5.	श्री एस0 एन0 विश्वकर्मा, कर्मशाला अनुदेशक	सदस्य	9335234322

नोट:— एन्टी रैगिंग स्क्वायड / प्रॉक्टोरियल बोर्ड में उक्त 05 स्थायी सदस्य होंगे तथा 02 सदस्य दिवसवार परिवर्तनशील होंगे जो कि केवल उस दिवस जिस दिन के लिए वह नामित है के दिन यदि कोई घटना होती है की जाँच / रिपोर्ट / कार्यवाही इत्यादि के लिए सम्मिलित किये जायेंगे इस प्रकार एन्टी रैगिंग स्क्वायड / प्रॉक्टोरियल बोर्ड में प्रत्येक दिवस 07 सदस्य होंगे।

उक्त एन्टी रैगिंग स्क्वायड / प्रॉक्टोरियल बोर्ड के निम्न दायित्व होंगे :-

1. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखना।
2. समुचित अनुशासन बनाये रखने हेतु अघोहस्ताक्षरी से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. दिवसवार एन्टी रैगिंग स्क्वायड से प्रतिदिन सूचना प्राप्त कर रैगिंग मुक्त परिसर रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
4. संस्था के समस्त ऐसे स्थानों (कैन्टीन, छात्रावास, लाइब्रेरी इत्यादि) जहाँ पर रैगिंग की घटना होने की सम्भावना हो सकती है पर भ्रमण करते हुए उस दिन घटना होने से रोकेंगे।
5. संस्था प्रमुख, फैंकेल्टी, स्टाफ के किसी सदस्य, किसी छात्र / छात्रा, किसी अभिभावक, संस्था परिसर में स्थाई / अस्थाई / डेलीवेजेज कार्यरत कर्मचारी द्वारा रैगिंग की घटना की सूचना प्राप्त होने पर एन्टी रैगिंग स्क्वायड दोषी छात्र / छात्राओं को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत अपनाते एवं उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए घटना के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अनुशंसा सहित एन्टी रैगिंग कमेटी को प्रस्तुत करेगी तथा यह भी अवगत करायेगी कि घटना किन शिथिलताओं के कारण हुई तथा उनके द्वारा इन कमियों को कैसे दूर किया जायेगा ताकि भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

(डा0 यू0 सी0 बाजपेयी)
प्रधानाचार्य